उर्दे भाषा के संवर्धन के संबंध में जाफरी समिति का प्रतिबंदन

3381. भी मोहम्मद अफजल उर्फ सीम अफ्रजल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 17 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रभन सं० 911 के दिये गये उत्तर को देखेंगें और यह बताने को कृपा करेंगे कि:

- (क) उर्दु भाषा के संवर्धन से संबंधित अली सरदार जाफरी समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या निर्णेय लिंगा है: और
- (ख) इस पर कब तक कार्यवाही की बाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (**क्यारी शैलजा)**:(क) और (ख)उर्दू प्रौन्नति के लिए गुजरात समिति (जाफरी) समिति) की भिफारिको के कार्यात्यवन की जांच करने संबंधी समिति की रिपोर्ट पर सरकार अभी भी विचार कर रही है।

जबलपुर स्थित रानी दुर्गावली विश्व-विद्यालय

3382. भी शिवप्रसाद चनपुरिया : न्या भानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपः करेंगे कि:

- (क) जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संस्कृत, पाली तथा प्राकृत विभाग ने कितने छात्र अध्ययनरत हैं; और
- (खा) क्या यह सच है कि इसमें छात्रों की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या अधिक हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारो शैराजा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगं द्वारा भेजी गई सुचता के अनुसार, रानी 'क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने दर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के संस्कृत की कृपा करेंगे कि :

ंपाली, एंव प्राकृत वि**भाग में इस समय 52** विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं । विभाग में अ।ठ अध्यापक हैं।

काम-काजी महिलाओं की मलाई हेत् शिशु-गृह

338**3 भो**सती उपिता चिमनभाई पटेल क्षा भानव संसाधन विकास मंत्री यह बतानेः की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं को भलाई हेतु शिशु-गृह (कैच) खोलने के संबंध में काई योजना शुरु की थी,
- (ख) यदि हां, ता क्या सरकार ने देश भें, विषेयकर गुजरात में इस योजना को बन्द कर दिवा है.
- (ग) बंदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,
- (घ) क्या सरकार निकट भविष्य में इस याजना को पुनः आरम्भ करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला ् और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्रीक्ती बासद राजेश्वरी)ः (क) जी, हां शिशुगृह/ दिवस देखभाल के इस्कीन कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए 1975 में शुक्र की गई थी।

- (ख) जी, नहीं।
- (४) और (घ) प्रकानहीं उठता ।

महिलाओं की समस्याओं को सुलक्षाने के लिए कदम

3384 श्रीमती उमिला चिमनुभाई पुरेस :

- (श्व) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक शहरों तथा गांवों में वेश्या-वृत्ति का धंधा चल रहा है और यह कि महिलाओं को बलपूर्वक वेश्या बनाने के लिए मजबूर किया जाता है;
- (ग) मदि हां, तो सरकार इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठा रही है तथा इसे समाप्त करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं;
- (भ) क्या कितप्य समुदायों में माता-पिता परम्परागत रीति से अपनी बेटियों को वेश्या बनने की अनुभित देते हैं और पूरा परिवार उसकी आय पर निर्भर करता है, जैसा कि गुजरात और राजस्थान के कुछ गांवों में यह प्रचलित है, भौर
- (इ) क्या सरकार इस प्रया को समाप्त करने हेतु किसी विशेष योजना के भाष्यम से कोई विशेष प्रयास कर रही है, यदि हां, तो उनका क्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला श्रीर झाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (ग) महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों, जिनमें बलान्संग और वेश्यावृक्ति भी शामिल है, के संबंध

में मारतीय दण्ड संहिता, 1860, अपराध प्रक्रिया संहिला, 1973 तथा भारतीय साध्य अधिनियम, 1872 के उपवंधों सहित अनेक विधान हैं। समाज में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए 1956 में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को और अधिक कड़ा और कारगर बनाने के लिए इसमें 1978 और 1986 में संशोधन किए गए। यह अधिनियम, महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, बिकी और अवैध बन्दोकरण के खिलाफ बनाए गए स्थाई नियमों का पुरक है। इन विधानों के कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य प्रशासनों का है। उन्हें समय-समय पर कहा गया है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानुनों का कारगर कार्यान्वयत सुनिश्चित किया आए।

to Questions

भारत सरकार ने महिलाओं के दर्जे में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं और कियोर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन उपायों में जागृति विकास, प्रशिक्षण, बचत, ऋण सुविद्याएं तथा अन्य रोजगार उत्पादक कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकद्र की जारही है और सदन के पटल पर रखदी जाएगी।

महिलाओं का बेद-पाठ संबंधी अधिकार

3385. श्रीमती उमिला श्रिमनशाई पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस्तब्य की जानकारी है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने महिलाओं को वेद-पाट के अधिकारों से वैचित करने के संबंध में कुछ पत्नों में हाल ही में टिप्पणी की थीं; और
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?